न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 100/2019 (Bank Case)

"इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स लिमिटेड" जिसका पंजीकृत कार्यालय–6th फ्लोर, प्लॉट नं. 15, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर–44,, गुरूग्राम, हरियाणा–122002

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री दशरथ सिंह पुत्र श्री छीतर सिंह (ऋणी / बंधककर्ता)
   पताः– मकान नं. 2–डी–6, वार्ड नं. 25, संजय गांधी नगर, कोटा राजस्थान–324005
   दुसरा पता– सर्वे नं. 224, संजय गांधी नगर–बी, हनुमान मन्दिर के पास, कोटा राजस्थान 324005
2. श्रीमति सुमन राठौर पत्नि श्री नवराज सिंह
   पता– मकान नं. 2–डी–6, वार्ड नं. 25, संजय गांधी नगर, कोटा राजस्थान–324005
   दुसरा पता– सर्वे नं. 224, संजय गांधी नगर–बी, हनुमान मन्दिर के पास, कोटा राजस्थान–324005
3. श्री नवराज सिंह पुत्र श्री नन्दसिंह
   पता– मकान नं. 2–डी–6, वार्ड नं. 25, संजय गांधी नगर, कोटा राजस्थान–324005
   दुसरा पता– सर्वे नं. 224, संजय गांधी नगर–बी, हनुमान मन्दिर के पास, कोटा राजस्थान–324005

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 01.10.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी "इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स लिमिटेड" जिसका पंजीकृत कार्यालय–6th फ्लोर, प्लॉट नं. 15, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर–44,, गुरूग्राम, हरियाणा–122002 से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 18.06.2015 को 4,00,000/– (अक्षरेः चार लाख रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति आबादी भूमि का कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा से जारी नियमन–आवंटन/ अधिकार पत्र कमांक/नियमन–आवंटन/2001/154 दिनांक 18.3.2011 से जारीसुदा है जो श्री दशरथ सिंह पुत्र छीतर सिंहके नाम है । जिसका पता– सर्वे नम्बर–224 संजय गांधी नगर–बी, हनुमान मन्दिर के पास, कोटा में स्थित है । जिसका कुल**

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

क्षेत्रफल 459.37 वर्गफीट है । जिसकी चर्तुः सीमाएं निम्न है– पूर्व में– मकान बहादुर सिंह, पश्चिम में–मकान राधाकिशन, उत्तर में– नाका, दक्षिण में– रोड़ को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 30.11.2017 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 4,36,322/– (अक्षरे रूपये चार लाख, छत्तीस हजार, तीन सौ बाईस मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.01.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत एवं The Economic Times में दिनांक 22 जनवरी 2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण दिनांक 01.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत एवं The Economic Times में दिनांक 22 जनवरी 2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 01.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत एवं The economic Times में दिनांक 22 जनवरी 2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति आबादी भूमि का कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा से जारी नियमन–आवंटन/ अधिकार पत्र कमांक/नियमन–आवंटन/ 2001/154 दिनांक 18.3.2011 से जारीसुदा है जो श्री दशरथ सिंह पुत्र छीतर सिंहके नाम है । जिसका पता– सर्वे नम्बर–224 संजय गांधी नगर–बी, हनुमान मन्दिर के पास, कोटा में स्थित है । जिसका कुल क्षैत्रफल 459.37 वर्गफीट है । जिसकी चर्तुः**

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

सीमाएं निम्न है– पूर्व में– मकान बहादुर सिंह, पश्चिम में–मकान राधाकिशन, उत्तर में– नाका, दक्षिण में– रोड का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner